प्रेस नोट दिनांक 17–05–2019

जनपद सहारनपुर में थाना नानौता पुलिस द्वारा 02 गो–तस्कर गिरफ्तार, बोलेरो पिकप गाड़ी, 02 गोवंश (गाय) व काटने के उपकरण बरामदः–

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियो के विरुद्व चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 16–05–2019 को थाना नानौता पुलिस द्वारा दो शातिर गो–तस्कर 1–प्रवेश कुमार पुत्र रामशरन कश्यप निवासी ग्राम फुगाना थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर 2–बिलाल कुरैशी पुत्र नफीस निवासी ग्राम लोई थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर को बोलेरो पिकप गाड़ी नं0 यूपी 12 एटी–1579 में वध हेतु ले जा रहे 02 गोवंश (गाय) मय कटान के उपकरण सहित देवबन्द रोड़ पर लार्ड कृष्णा स्कूल के पास नहर पुल से समय 20.35 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 156/19 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि0 व धारा 11घ पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पताः–

1–प्रवेश कुमार पुत्र रामशरन कश्यप निवासी ग्राम फुगाना थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।

2–बिलाल कुरैशी पुत्र नफीस निवासी ग्राम लोई थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः–

1– बोलेरो पिकप गाड़ी नं0 यूपी 12 एटी–1579।
2– 02 गोवंश (गाय)।
3– 01 कुल्हाड़ी छोटी।
4– 01 छुरा।
5– 01 लकड़ी का गुटका।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तो ने बरामद गोवंश के बारे में बताया कि वह बरामद गोवंश को फुगाना जंगल से पकड़कर थाना नागल, सहारनपुर के जंगल में काटने के लिये लेकर जा रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़े गये। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के गो–तस्कर है। जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। अभियुक्तो से विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–व0उ0नि0 श्री मनोज राठी थाना नानौता, सहारनपुर।
2–उ0नि0 श्री कुंवरपाल सिंह थाना नानौता, सहारनपुर।
3–है0का0 461 राजीव कुमार थाना नानौता, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 17–05–2019

जनपद सहारनपुर में थाना मण्डी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 340/19 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त सोनू उर्फ नूरआलम को घटना में प्रयुक्त किया गया एक नाजायज चाकू सहित किया गिरफ्तारः–

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित अभियुक्तो के विरुद्व चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 16–05–2019 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर कब्रिस्तान के पास कलसिया रोड़ से मु0अ0सं0 340/19 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त सोनू उर्फ नूर आलम पुत्र इकराम निवासी मोमीन मस्जिद 786 कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर को घटना में प्रयुक्त किया गया एक नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 342/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–सोनू उर्फ नूर आलम पुत्र इकराम निवासी मोमीन मस्जिद 786 कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

1–घटना में प्रयुक्त किया गया एक नाजायज चाकू।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 15–05–2019 को प्रातः 02.00 बजे से 03.00 बजे के मध्य उसने व उसके साथी 1–नानू पुत्र लतीफ निवासी मुस्तफाबाद कालोनी निकट मोमीन मस्जिद थाना मण्डी, सहारनपुर 2–इस्लाम पुत्र लतीफ निवासी गोल्डन कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी, सहारनपुर द्वारा मंसूर के खेत में गोकशी की गई थी। एक व्यक्ति को देखने के पश्चात् गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उर्फ नूर आलम ने उस पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया था, जो बचकर भाग गया था। गिरफ्तार अभियुक्त ने बरामद चाकू उसी घटना में इस्तेमाल करना स्वीकार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उर्फ नूर आलम ने घटना स्थल पर ले जाकर गडढे में दबाये गये गोवंश के अवशेष दिखाये। गोवंश के अवशेषो की पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पुष्टि की गई, जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 343/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 पंजीकृत किया गया है। अन्य वांछित अभियुक्त नानू व इस्लाम की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, जिन्हे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना मण्डी, सहारनपुर।
2–है0का0 508 दिलशाद थाना मण्डी, सहारनपुर।
3–का0 1143 रोबिन ढाका थाना मण्डी, सहारनपुर।